न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 229/2016

1. जगदीश गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन गांव दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

A 28

–:: बनाम ::–

1. नत्थूराम पुत्र श्री फूसाराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र गोदारा पुत्र श्री नत्थूराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कृष्णलाल गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. कमला पुत्री नत्थूराम पत्नी जयसिंह झाझड़िया जाति जाट साकिन मौजगढ़ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)
5. सीमा पुत्री नत्थूराम पत्नी कृष्ण जाति थोरी जाट साकिन ठाकरी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
6. लीला पुत्री नत्थूराम पत्नी राकेश जाति सहारण जाट साकिन सूरावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
7. सावत्री पुत्री नत्थूराम पत्नी जैसाराम जाति कांटिया जाट साकिन 5 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
8. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 91 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसराम टाक अधिवक्ता	वादी
2. श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3
3. श्री राजेश कुमार गुम्बर अधिवक्ता	प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 08.04.2017**

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 91, आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादी एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 एक ही परिवार व खानदान के सगे भाई बहन है। प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम वादी एवम् प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 7 का पिता है। चक 7 क्यू के खाता संख्या 31/28 मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 7 में 0.202, 18 में 0.051, 21 में 0.013, 22 में 0.139, 23 में 0.253, 24 में 0.253, कुल 0.911 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 24 में 0.051, 25 में 0.215, खाला 0.026 कुल मय खाला 0.266 नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1 में 0.228 व किला नम्बर 2 ता 25 सालम कुल 6.300 हैक्टर नहरी तथा मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1 ता 2 सालम किला नम्बर 5 ता 25 सालम कुल 5.819

हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल चार मुरब्बों में स्थित 13.296 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रतिवादी
संख्या 1 नत्थूराम के नाम खातेदारी दर्ज कागजात है। उक्त भूमि पैतृक हैं। जददी जायदाद
के सबूत में दस्तावेज बंटवारानामा दिनांक 04.04.1972 जो उप पजीयक श्रीगंगानगर से
प्रमाणित हैं। को घरेलु बंटवारा अनुसार विभाजन किये जानें हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किये जानें के उपरान्त प्रकरण में विधि अनुसार प्रक्रिया अपनाई
जाकर उभयपक्ष के घरेलु बंटवारा के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर न्यायालय
द्वारा दिनांक 27.05.2016 को निर्णय पारित किये जाने के उपरान्त उभयपक्ष के मध्य विभाजन
की डिक्री दिनांक 21.06.2016 को पारित की गई।

उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा
माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील प्रस्तुत की गई जो
स्वीकार होनें पर माननीय न्यालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अधिनस्थ
न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.05.2016 को अपास्त कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया
कि पक्षकारों द्वारा विधिवत राजीनामा पेश होनें पर उस पर विधि अनुसार निर्णय पारित करें।

माननीय न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होनें पर पुनः दर्ज की जाकर वकील उभयपक्ष
को अवगत करवाया गया। उभयपक्ष दिनांक 15.03.2016 को उपस्थित आये वादी एवम्
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 स्वंय उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की और से
श्री राजेश कुमार गुम्बर अधिवक्ता उपस्थित आकर राजीनामा प्रस्तुत किया।

राजीनामा में कथन किया कि हम पक्षकारान के मध्य पैतृक सम्पत्ति के विभाजन का
वाद जो प्रतिवादी संख्या 1 नत्थुराम के नाम से खातेदारी दर्ज कागजात माल है, के सम्बंध
में श्रीमान् न्यायालय में विचाराधीन था जिसमें हम पक्षकारान का पंचायत की बिरादरी एवम्
मौतबिरान नें आपस में राजीनामा करवा दिया है और बरूए राजीनामा प्रतिवादी संख्या 4 ता
7 नें अपना अपना हिस्सा अपनें भाईयों के हक में त्याग कर कुछ भी लेना तय नहीं पाया है।
तथा शेष प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व वादी के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन तय पाया
गया है :–

वादी का हिस्सा :–	चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 21/.013, 22/.013 कुल 0.026 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1/.228, 2/.169, 9/.169, 10/.253, 11/.253, 12/.169, 20/.190, 19/.127, कुल 1.558 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 1/.253, 2/.063, 9/.063, 10/.253, 11/.253, 12/.063, 19/.063, 20/.190, कुल 1.201 हैक्टर कुल तादादी 2.785 हैक्टर कृषि भूमि।
प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा :–	चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 17/.202, 18/.051, 22/.126, 23/.253 कुल 0.632 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 24/.051, 25/.215 कुल 0.266 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 16/.063, 17/.063, 18/.063, 19/.063, 20/.063, 21 ता 25 में 1.265 कुल 1.580 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 16/.139, 17/.113, 18/.063, 19/.063, 20/.063, 21 ता 25 में 1.265 कुल 1.706 हैक्टर कुल तादादी 4.184 हैक्टर कृषि भूमि।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

लगातार 3

प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा :– चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 2 / .084, 3 / .253, 4 / .084, 7 / .084, 8 / .253, 9 / .084, 12 / .084, 13 / .253, 14 / .084, 17 / .063, 18 / .190, 19 / .062, कुल 1.578 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 2 / .190, 7 / .076, 8 / .253, 9 / .190, 12 / .190, 13 / .253, 14 / .076, 17 / .038, 18 / .190, 19 / .127, कुल 1.583 हैक्टर कुल तादादी 3.161 हैक्टर कृषि भूमि।

प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा :– चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 24 / .253, मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 4 / .168, 5 / .253, 6 / .253, 7 / .168, 14 / .168, 15 / .253, 16 / .190, 17 / .127 कुल 1.580 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 7 के किला नम्बर 5 / .253, 6 / .253, 7 / .177, 14 / .177, 15 / .253, 16 / .114, 17 / .102 कुल 1.329 हैक्टर कुल तादादी 3.162 हैक्टर कृषि भूमि।

उपरोक्तानुसार समस्त भूमि का विभाजन हम पक्षकारान के मध्य हो चुका है, और इसी अनुसार ही हम सभी पक्षकारान अपनें अपनें हिस्से की भूमि का विभाजन की डिक्री प्राप्त करना चाहते है।

जिसे खुले न्यायालय में पढ़ का सुनाया गया, उभयपक्ष द्वारा राजीनामा को स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये वादी की पहचान श्री जसराम टाक अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की पहचान श्री सुरेश कुमार अरोड़ा अधिवक्ता द्वारा की गई तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की और से श्री राजेश कुमार गुम्बर अधिवक्ता उपस्थित आये तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की और से राजीनामा स्वीकार किया जाकर हस्ताक्षर किये उभयपक्ष की सहमती के अनुसार राजीनामा को तस्दीक किया जाकर राजीनामा को शामिल पत्रावली किया गया।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होंनें के कारण तथा उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करने पर बहस सुनी गई दौरानें बहस उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा राजीनामा को स्वीकार करते हुए राजीमा अनुसार ही विभाजन करनें हेतु सहमती जताते हुए विभाजन किये जानें हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली का विवेचन किया गया बाद विवेचन राजीनामा के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया अतः राजस्थात काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत वादी जगदीश गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन गांव दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 2.785 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम पुत्र श्री फूसाराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 4.184 हैक्टर भूमि, प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र गोदारा पुत्र श्री नत्थूराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 3.161 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर में 3.162 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत समस्त खातेदारान की कृषि भूमि का राजीनामा के अनुसार भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

1. वादी जगदीश गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन गांव दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	3	21 / .013, 22 / .013	0.026 हैक्टर
	6	1 / .228, 2 / .169, 9 / .169, 10 / .253, 11 / .253, 12 / .169, 20 / .190, 19 / .127	1.558 हैक्टर
	7	1 / .253, 2 / .063, 9 / .063, 10 / .253, 11 / .253, 12 / .063, 19 / .063, 20 / .190,	1.201 हैक्टर
			कुल भूमि :– 2.785 हैक्टर

2. प्रतिवादी संख्या 1 नत्थूराम पुत्र श्री फूसाराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	3	17 / .202, 18 / .051, 22 / .126, 23 / .253	0.632 हैक्टर
	4	24 / .051, 25 / .215	0.266 हैक्टर
	6	16 / .063, 17 / .063, 18 / .063, 19 / .063, 20 / .063, 21 ता 25 में 1.265	1.580 हैक्टर
	7	16 / .139, 17 / .113, 18 / .063, 19 / .063, 20 / .063, 21 ता 25 में 1.265	1.706 हैक्टर
			कुल भूमि :– 4.184 हैक्टर

3. प्रतिवादी संख्या 2 राजेन्द्र गोदारा पुत्र श्री नत्थूराम जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर को चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	6	2 / .084, 3 / .253, 4 / .084, 7 / .084, 8 / .253, 9 / .084, 12 / .084, 13 / .253, 14 / .084, 17 / .063, 18 / .190, 19 / .062	1.578 हैक्टर
	7	2 / .190, 7 / .076, 8 / .253, 9 / .190, 12 / .190, 13 / .253, 14 / .076, 17 / .038, 18 / .190, 19 / .127	1.583 हैक्टर
			कुल भूमि :– 3.161 हैक्टर

4. प्रतिवादी संख्या 3 कृष्णलाल गोदारा पुत्र नत्थूराम गोदारा जाति गोदारा जाट साकिन दोलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
चक 7 क्यू तहसील व जिला श्रीगंगानगर	3	24 / .253	0.253 हैक्टर
	6	4 / .168, 5 / .253, 6 / .253, 7 / .168, 14 / .168, 15 / .253, 16 / .190, 17 / .127	1.580 हैक्टर
	7	5 / .253, 6 / .253, 7 / .177, 14 / .177, 15 / .253, 16 / .114, 17 / .102	1.329 हैक्टर
			कुल भूमि :– 3.162 हैक्टर

लगातार 5

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.04.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर